बोली आमंत्रण सूचना संख्या 24/10/2013 भाग -2 सी.टी.बी./ आर.यू.

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में आउटसोर्सिंग आधार पर ***बृहद राजभाषा शब्दावली*** तैयार करने के लिए तकनीकी, भाषायी समर्थन और अमला उपलब्ध कराने के लिए संविदा के लिए बोलियों का आमंत्रण|

राजभाषा विभाग , गृह मंत्रालय नई दिल्ली के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में एकरूपता , पारदर्शिता तथा **किफायत** को बनाए रखने के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो आउटसोर्सिंग आधार पर ***बृहद राजभाषा शब्दावली*** तैयार करने के लिए प्रतिष्ठित , अनुभवी तथा वित्तीय रूप से सुदृढ़ एजेंसियों से तकनीकी , भाषायी समर्थन तथा श्रमबल उपलब्ध कराने के लिए संविदा प्रदान करने के लिए दोहरी बोली पद्धति (अर्थात भाग -1 तकनीकी बोली और भाग 2 वित्तीय बोली) के अंतर्गत ई-निविदा आमंत्रित करता है |

2. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो (सी.टी.बी.) राजभाषा विभाग , गृह मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है| यह 8वां तल, अंत्योदय (पर्यावरण) भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में स्थिति है |

3.यह निविदा दस्तावेज http:/eprocure.gov.in/eprocure/app की विभिन्न वेबसाइटों से 24.8.2018 (दोपहर 1:00 बजे) से 24.9.2018 (दोपहर 1:00 बजे) तक डाउनलोड किया जा सकता है |

5. इच्छुक सेवा प्रदाता http:/eprocure.gov.in/eprocure/app पर निर्धारित प्रोफार्मा में दोहरी बोली पद्धति(1. तकनीकी बोली और 2. वित्तीय बोली) के तहत ऑनलाइन निविदाएं प्रस्तुत कर सकते हैं | निविदाएं ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http:/eprocure.gov.in/eprocure/app के माध्यम से केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत की जानी हैं | पात्रता मानदंड आदि के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज भी निविदा दस्तावेजों के साथ स्कैन और अपलोड करने होंगे | किसी भी अन्य माध्यम से भेजी गई निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा |

6. बयाना जमा राशि के रूप में 25,000/- रूपए एकाउंट पेई डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक के रूप में , 24/8/2018 तथा 24/9/2018 के बीच दोपहर 3:00 बजे तक , आहरण एवं संवितरण अधिकारी , केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, आठवां तल, अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के पास जमा करानी होगी |

7. तकनीकी बोलियां दिनांक 26/9/2018 को दोपहर 3:00 बजे केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में ऑनलाइन खोली जाएंगी | पहली बारी में तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन इस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा गठित की गई निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा | दूसरे चरण में दिनांक 28/9/2018 को दोपहर 3:00 बजे केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों को ऑनलाइन खोला जाएगा जो तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त कर लेंगे | निविदा मूल्यांकन समिति तकनीकी और वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन करने के बाद **न्यूनतम बोली वाली** निविदा के संबंध में विशेष तौर पर अपनी सिफारिश करेगी जिसका चयन करते समय निविदा मूल्यांकन समिति के सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाएगा |

8. सक्षम प्राधिकारी, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी भी समय निविदा को रद्द कर सकते हैं या निविदा दस्तावेज में उल्लिखित किसी भी निबंधन एवं शर्त को बिना कोई कारण बताए संशोधित कर सकते हैं/हटा सकते हैं |

प्रशासनिक अधिकारी (केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो)

संलग्नक -3

<u>भाग I - सामान्य शर्तें</u>

<u>1.पात्रता- शर्तें</u> :-

i) बोलीदाता प्रतिष्ठित, वित्तीय रूप से सुदृढ़ तथा सरकारी/ अर्ध-सरकारी/ सांविधिक निकायों/ स्वायत्त निकायों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालयों में शब्दकोश तैयार करने के क्षेत्र में अनुभवी होना चाहिए |

ii) कोई मालिकाना फर्म , भागीदारी फर्म, सीमित देयता भागीदारी फर्म , कंपनी अधिनियम के अंतर्गत शामिल कंपनी, जो उपयुक्त प्राधिकरण में अनिवार्य रूप से पंजीकृत हो, बोलीदाता हो सकती है |

iii)बोलीदाता के पास ठेका श्रम अधिनियम , 1970 तथा ठेका श्रम केंद्रीय नियमावली , 1971 के उपबंधों के अधीन सक्षम लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा जारी वैध लाइसेंस होना चाहिए |

iv)बोलीदाता को सरकारी/ अर्ध-सरकारी/ सांविधिक निकायों/ स्वायत्त निकायों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालयों में शब्दकोश तैयार करने के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए | पिछले 3 वित्त वर्षों के दौरान बोलीदाता का कुल टर्नओवर कम से कम 50 लाख रुपए से अधिक होना चाहिए |

v) मालिक/फर्म/ भागीदार/ कंपनी/एजेंसी के विरुद्ध पुलिस या किसी अन्य सरकारी एजेंसी में कोई मुकदमा लंबित नहीं होना चाहिए |

vi)बोलीदाता फर्म कहीं भी स्थित हो सकती है लेकिन उसकी श्रृंखला शाखा/कार्यालय दिल्ली में स्थित होना चाहिए तथा यह सेवा कर के लिए आयकर विभाग, वैट विभाग तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में पंजीकृत होनी चाहिए |

vii) बोलीदाता को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ,1948, मजदूरी संदाय अधिनियम ,1936, ठेका श्रम अधिनियम, 1970 में निहित प्रावधानों का पालन करना होगा | इससे संबंधित प्रमाण पत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

viii) बोलीदाता किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए । तकनीकी बोली में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ix) बोलीदाता के पास निम्नलिखित पंजीकरण होने चाहिए और इनका विवरण तकनीकी बोली में दिया जाना चाहिए:

क) टैन

ख) पैन

ग) पी एफ पंजीकरण

घ) ई एस आई पंजीकरण

ङ) वस्तु एवं सेवाकर पंजीकरण

च) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, भारत सरकार द्वारा जारी वैध लाइसेंस

2. समय सीमा : यह कार्य , कार्य सौंपे जाने की तारीख से 4 माह के भीतर पूरा करना होगा | इस अवधि को राजभाषा विभाग का सक्षम प्राधिकारी बढ़ा या घटा सकता है |

3. बोलियां प्रस्तुत करने का तरीका : निविदा दो बोली पद्धति के तहत स्वीकार की जाएगी | इच्छुक सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा प्रदाता तकनीकी और वित्तीय बोली केवल ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http:/eprocure.gov.in/eprocure/app के माध्यम से ऑनलाइन जमा करा सकते हैं । पात्रता मानदंड आदि के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज भी निविदा दस्तावेजों के साथ स्कैन और अपलोड करने होंगे | किसी भी अन्य माध्यम से भेजी गई निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उन्हें तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा | निविदा दस्तावेज के संलग्नक-1 में तकनीकी बोली तथा संलग्नक-II में वित्तीय बोली का प्रोफार्मा दिया गया है ।

4. ऑनलाइन बोली-प्रक्रिया की समाप्ति की तारीख और समय: 24/09/2018 (दोपहर 3 बजे)

5. बोली खोलने का समय और तारीख : तकनीकी बोलियां 26.09.2018 को दोपहर 3 बजे सी.टी.बी. , नई दिल्ली में ऑनलाइन खोली जाएंगी । समिति के सदस्यों द्वारा केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों को दिनांक 28/9/2018 को दोपहर 3:00 बजे ऑनलाइन खोला जाएगा जो तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त कर लेंगे |

6.बोलियाँ खोले जाने का स्थान : प्रशासनिक अधिकारी का कक्ष , केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो , आठवां तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -03 | बोलीदाता अपने बोली खोले जाने की नियत तारीख और समय पर उपस्थित रहने के लिए अपने प्रतिनिधियों को लिखित में विधिवत प्राधिकृत कर सकता है | आपके प्रतिनिधि के उपस्थित न हो पाने की स्थिति में भी इस कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया जाएगा |

7. बोलियों की विषयवस्तु के संबंध में स्पष्टीकरण : बोलियों के मूल्यांकन और तुलना के दौरान क्रेता स्वविवेक से बोलीदाता से उसकी बोली के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकता है | स्पष्टीकरण देने का अनुरोध लिखित में किया जाएगा तथा बोली की कीमतों या सार में कोई परिवर्तन करने की न तो कोई मांग जाएगी न ही इसका कोई प्रस्ताव रखा जाएगा और न ही इसके लिए कोई अनुमति दी जाएगी | बोली खोले जाने के बाद में बोलीदाता द्वारा दिए गए किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. बोलियों को अस्वीकार करना : बोलीदाता द्वारा किसी भी रूप में पक्ष -प्रचार किए जाने पर बोली को तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा | सशर्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा|

9. बोलियों की वैधता : बोलियां जमा करने की अंतिम तारीख से 120 दिनों तक बोलियां वैध रहनी चाहिए |

10. बोली जमानत / बयाना जमा राशि (ई एम डी): 25,000/- रूपए की बयाना जमा राशि 24/8/2018से 24/9/2018 दोपहर 1:00 बजे तक के बीच, आदाता खाता डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक के रूप में आहरण एवं संवितरण अधिकारी , केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली के पास जमा करानी होगी | ईएमडी अंतिम बोली वैधता अवधि के बाद 45 दिनों की अवधि के लिए वैध रहनी चाहिए । दिनांक 24/09/2018 को दोपहर 3:00 बजे तक ईएमडी जमा न कराए जाने पर बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा | ईएमडी देर से अर्थात ऑनलाइन बोली-प्रक्रिया का समय पूरा हो जाने के बाद प्राप्त होने पर बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसकी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा | यदि बोली ईएमडी के बिना प्राप्त होगी तो पर विचार नहीं किया जाएगा और तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा। विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग उद्योग निगम के पास पंजीकृत किए गए सूक्ष्म और लघु उद्यम संगठन को ईएमडी जमा करने से छूट दी गई है।

11.**निष्पादन गारंटी:** सफल निविदादाता/ बोलीदाता को उनके संविदा मूल्य के 10% के बराबर राशि की निष्पादन प्रतिभूति राशि फर्म के नाम पर सावधि जमा रसीद के रूप में, डीडीओ, सीटीबी, नई दिल्ली के पास बंधक रखनी होगी । आदेश की पुष्टि के दिए जाने के बाद 30 दिनों के भीतर निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी और यह संविदा की समाप्ति की तारीख से 90 दिनों बाद तक वैध होनी चाहिए। यदि संविदा की पूर्व निर्धारित अवधि को आगे बढ़ाया जाता है तो सफल निविदादाता / बोलीदाता को निष्पादन प्रतिभूति राशि को तदनुसार नवीनीकृत करना होगा ।

12. निविदा फॉर्म में सभी प्रविष्टियां पठनीय होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से भरी जानी चाहिए | यदि जानकारी देने के लिए प्रदान की गई जगह अपर्याप्त है तो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अलग शीट स्कैन और अपलोड की जा सकती है। तकनीकी बोली या वित्तीय बोलियों में किसी सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी । किसी भी मामले में वित्तीय बोली के प्रारूप में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए प्रोफार्मा से अलग किसी अन्य प्रोफार्मा में प्रस्तुत बोलियों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

13. तकनीकी बोलियां खोल दिए जाने के बाद किसी भी बोलीदाता फर्म को बोलियां वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता निविदा की वैधता अवधि के भीतर किसी भी दृष्टि से निविदा के काम से पीछे हटेगा, उसमें बदलाव करेगा, उसे विकृत करेगा अथवा भंग करेगा तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी । दोषसिद्धि की स्थिति में ईएमडी जब्त करने के लिए कोई अलग आदेश जारी नहीं किया जाएगा और जब्त ईएमडी को अविलंब सरकारी खाते जमा कर दिया जाएगा ।

14.असफल बोलीदाताओं की ईएमडी अंतिम बोली वैधता अवधि समाप्त हो जाने के बाद जल्द से जल्द और अधिक से अधिक संविदा प्रदान किए जाने के 30 दिन बाद या उससे पहले उन्हें वापस कर दी जाएगी | सफल बोलीदाताओं की बोली जमानत, संविदा में उनसे माँगी गई निष्पादन प्रतिभूति राशि प्राप्त हो जाने पर, बिना किसी ब्याज के उन्हें वापस कर दी जाएगी |

15. भागीदारी फर्मों के मामले में ,भागीदारी करार या नोटरी पब्लिक द्वारा स्टैम्प पेपर पर विधिवत् साक्ष्यांकित मुख्तारनामे की एक प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए जो भागीदारी करार या सामान्य पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी के निष्पादन की स्वीकृति के तौर पर सभी भागीदारों द्वारा विधिवत् शपथबद्ध और अभिपुष्ट होनी चाहिए ,जिसे निविदा दस्तावेजों के साथ स्कैन और अपलोड किया जा एगा।फर्म के पंजीकरण के प्रमाणपत्र की सांक्षाकित प्रति और अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए फर्म और प्राधिकृत भागीदार का नाम भी निविदा दस्तावेजों के साथ स्कैन और अपलोड किया जाना चाहिए।

16. स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए संपर्क व्यक्ति का पता और फोन न. :

अधिकारी	दिनेश कुमार झा,प्रशासनिक अधिकारी ईमेल:osadmn-ctb@gov.in
प्रश्न भेजने के लिए डाक पता	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो (सी.टी.बी.) ,8वां तल , अंत्योदय (पर्यावरण) भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
टेलीफोन नंबर	24360370
फैक्स नंबर	24362025

17. **<u>संविदा प्रारंभ होने की संभावित तारीख :</u> 10.10.2018**

18. क्रेता को पूर्ण अधिकार है कि वह निविदा दस्तावेज में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों में से किसी को भी संशोधित /रद्द कर सकता है या कोई सूचना दिए बिना अथवा कोई कारण बताए बिना किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार कर सकता है । क्रेता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

<u>भाग II- कार्यक्षेत्र - कार्य संबंधी आवश्यक विवरण</u>

i)निम्नलिखित विवरण के अनुसार ***बृहत राजभाषा शब्दकोश*** तैयार करने संबंधी अनंतिम आवश्यकताएं |

<u>विभिन्न डोमेन/विषयों से लगभग 1 मिलियन (10 लाख) अंग्रेजी प्रविष्टियों को व्यवस्थित / तैयार करने की आवश्यकता है। 1 मिलियन (10 लाख) अंग्रेजी प्रविष्टियों का यह आंकड़ा अनंतिम है और इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है |</u>

ii) यह आवश्यकता <u>अनंतिम</u> है और वास्तविक कार्य के समय इसमें वृद्धि या कमी की जा सकती है।

<u>कार्य-आवश्यकता</u>

बृहत राजभाषा शब्दकोश तैयार करने की कार्य योजना के तहत कार्य संबंधी अपेक्षाएं एवं विवरण इस प्रकार हैं :

1. ***बृहत राजभाषा शब्दकोश*** के लिए विभिन्न शब्दावलियों आदि से प्राप्त विषयवार डाटाबेस का समेकन, डुप्लिकेट प्रविष्टियों / पुनरावृत्तियों को हटाना और उन्हें इस तरह से व्यवस्थित करना कि अंग्रेजी शब्दों के लिए दिए गए हिंदी शब्दों के स्थानापन्न/पर्याय डोमेन के अनुसार प्रस्तुत किए जा सकें |
2. <u>विभिन्न डोमेन / विषयों से ली गई लगभग 1 मिलियन (10 लाख) अंग्रेजी प्रविष्टियों और उनके हिंदी पर्यायों को व्यवस्थित किया जाना है । यह आंकड़ा अनंतिम है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।</u>
3. वर्ड या किसी अन्य फोर्मेट में उपलब्ध डाटाबेस को आवश्यकतानुसार एक्सेल या एक्सेस (एमएस एक्सेल / एक्सेस) में रूपांतरित करना ।

4. सीटीबी में वर्तमान में उपलब्ध लगभग 70 (सत्तर) शब्दावलियों से विभिन्न विषयों के 2 लाख से अधिक शब्दों की एक्सेल या एक्सेस फोर्मेट में टाइपिंग / डाटा एंट्री (अंग्रेजी / हिंदी) और प्रूफ रीडिंग आदि के माध्यम से उनकी परिशुद्धता को सुनिश्चित करना |

5. सभी उपलब्ध शब्दावलियों के लिए आवश्यकतानुसार एमएस एक्सेल या एक्सेस फोर्मेट में अलग-अलग और एकीकृत डेटाबेस तैयार करना ।

6. कंप्यूटर / ई-बुक के लिए द्वि-दिशी अर्थात हिंदी-अंग्रेजी / अंग्रेजी-हिन्दी वर्ड सर्च के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम और इंटरफेस तैयार करना |

7. वर्ड सर्च में स्वत: सुधार(ऑटो-करेक्शन) की विशेषता को शामिल करना |

8. एकीकृत शब्दावली का वेब संस्करण तथा ई-बुक संस्करण तैयार करना |

9. वेब संस्करण और ई-बुक संस्करण दोनों में डाउनलोडिंग और ऑफ़लाइन सर्च सुविधा प्रदान करना |

10. बुक फोर्मेट के लिए पुस्तक के डिजाइन और लेआउट सहित मुद्रित किया जा सकने वाला संस्करण तैयार करना ।

11. इस कार्यक्रम में सॉफ्टवेयर में कुछ जोड़ने , बदलने, हटाने, संपादन करने और तदनुसार इसके आसानी से स्वत: अद्यतन हो जाने की सुविधा होनी चाहिए ।

12. पूरे शब्दकोश सॉफ्टवेयर तथा डेटाबेस पर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का कॉपीराइट होगा तथा संबंधित कंपनी/ विक्रेता किसी कॉपीराइट इत्यादि की मांग नहीं करेगा |

13. इस नियत कार्य में ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर यथा प्रस्तावित शब्दावली संबंधित अतिरिक्त कार्य भी शामिल होगा |

14. यह एक समयबद्ध कार्य है और इसे नवंबर , 2018 तक पूरा किया जाना है | इसलिए संबंधित विक्रेता/ कंपनी को नियत समय सीमा के भीतर कार्य को पूरा करने के लिए यथा आवश्यकता पर्याप्त श्रमशक्ति की व्यवस्था करनी होगी।

15. कंपनी/विक्रेता को इस उत्पाद के पूरा होने की तारीख के बाद से और/या उत्पादों को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के को हस्तांतरित कर दिए जाने की तारीख के बाद से एक वर्ष तक के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करनी होगी ।

<u>भाग-III - मानक शर्तें</u>

बोली लगाने वाले से यह अपेक्षित है कि वह नीचे यथा उल्लिखित मानक शर्तों की अपनी स्वीकृति की पुष्टि प्रदान करेगा जोकि स्वतः सफल बोली लगाने वाले के साथ की गई संविदा के अंग के रूप में मानी जाएगी। ऐसा न करने पर बोली दाता प्रस्तुत की गई निविदा अस्वीकृत की जा सकती है।

1. विधिः संविदा भारत गणराज्य की विधि के अनुसार मानी जाएगी और निष्पादित की जाएगी। संविदा भारत गणराज्य की विधि द्वारा नियंत्रित और उसके अनुसार विवेचित की जाएगी तथा दिल्ली न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगी।

2. संविदा की प्रभावी तारीखः संविदा पर दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से प्रभावी होगी और संविदा के अधीन पक्षकारों के दायित्वों के पूरा होने तक वैध बनी रहेगी। सेवा की सुपुर्दगियां/ निष्पादन संविदा की तारीख से प्रारंभ होगा।

3. मध्यस्थता :

i. वर्तमान संविदा के कारण या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवाद और मतभेद , इसमें वर्तमान संविदा या इसके किसी भाग की वैधता से संबंधित विवाद और मतभेद भी शामिल हैं, द्विपक्षीय चर्चाओं के द्वारा निपाटाए जाने चाहिए।

ii. इस संविदा के कारण या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले या इसके निष्पादन के संबंध में (किसी ऐसे मामले के अलावा जिसमें निर्णय या जिसका निर्धारण इन शर्तों द्वारा निर्धारित किया गया है) कोई विवाद या असहमति, जोकि सौहर्दपूर्ण ढंग से नहीं निपटाए जा सकते/सकती, उस तारीख से, जब से किसी पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को मौजूद ऐसे विवाद , असहमति या प्रश्नों के बारे में नोटिस द्वारा लिखित रूप में सूचित किया है , साठ दिनों या इससे अधिक अवधि भीतर , यथा पारस्परिक रूप से सहमति हो, एकल मध्यस्थ को संदर्भित किए जाएंगे।

iii. उक्त नोटिस प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर, पक्षकारों की सहमति से प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में मध्यस्थ नामित किया जाएगा।

iv. एकल मध्यस्थ नई दिल्ली में बैठेगा।

v. मध्यस्थम् की कार्यवाहियां भारतीय मध्यस्थम् और सुलह अधिनियम , 1996 के अधीन की जाएंगी और ऐसे मध्यस्थम् अधिकरण का अधिनिर्णय केवल भारतीय न्यायालयों में ही प्रवर्तनीय होगा।

vi. प्रत्येक पक्षकार अपने मामले को तैयार करने और प्रस्तुत करने की लागत को स्वयं वहन करेगा। मध्यस्थम् की लागत, इसमें शुल्क और व्यय भी शामिल हैं, एकल मध्यस्थ द्वारा जब तक कि अन्यथा अधिनिर्णय न लिया जाए, समान रूप से पक्षकारों द्वारा साझा की जाएगी।

vii. पक्षकार इस संविदा के अधीन मध्यस्थम् कार्यवाहियों के लंबित रहने की अवधि के दौरान अपने संबंधित दायित्वों को , उन दायित्वों को छोड़कर, जो उक्त मध्यस्थम् कार्यवाहियों के विषयवस्तु हैं , निष्पादित करना जारी रखेगा।

(**नोटः** पक्षकारों द्वारा विवाद को मध्यस्थम् अधिकरण के न्यायनिर्णयन के लिए भेजे जाने का निर्णय लिए जाने की स्थिति में प्रत्येक पक्षकार द्वारा एक-एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा और मामले को तीसरे मध्यस्थ को नामित करने के लिए भारतीय मध्यस्थम् परिषद को संदर्भित किया जाएगा।

पक्षकारों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के शुल्क प्रत्येक पक्षकार द्वारा वहन किया जाएगा और तीसरे मध्यस्थ के शुल्क, यदि नियुक्त किया जाता है तो , समान रूप से क्रेता और सेवा प्रदाता द्वारा साझा किया जाएगा।)

4. विधिक बाध्यताएं:

i. सेवा प्रदाता द्वारा तैनात किए गए व्यक्तियों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी , भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा आदि से संबंधित सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करने लिए वह स्वयं उत्तरदायी

होगा। सेवा प्रदाता प्रत्येक मास , भुगतान के बिलों के साथ , इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि सभी सांविधिक अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं।

ii. सेवा प्रदाता सीएचटीआई या सीटीबी में व्यक्तियों को नियोजित करने से पहले उनके नाम के साथ पीएफ और ईएसआई का अद्यतन विवरण प्रस्तुत करेगा।

iii. सेवा प्रदाता , इस कार्यालय को प्रदान की गई सेवाओं के मामले के संबंध में , नियमों और विनियमों की सीमा के अनुसार समय-समय पर संबंधित कर संग्रहण प्राधिकरणों को सभी करों, उगाहियों, उपकर आदि को जमा करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

iv. सेवा प्रदाता लागू विधियों के अधीन सभी सांविधिक रजिस्टरों को रखेगा। सेवा प्रदाता मांग किए जाने पर उसे प्रस्तुत करेगा।

v. स्रोत पर कर की कटौती , समय-समय पर यथा संशोधित , आय कर विधि के उपबंधों के अनुसार की जाएगी और इस संबंध में प्रमाणपत्र सेवा प्रदाता को इस कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा।

vi. यदि सेवा प्रदाता उपयुक्त विधि के अधीन किसी सांविधिक कराधान जिम्मेदारी का अनुपालन नहीं करता है और यदि इसके परिणाम स्वरूप क्रेता को किसी हानि , जिम्मेदारियों, मौद्रिक या अन्यथा, में डाल दिया जाता है तो क्रेता मौद्रिक रूप में हानि या बाध्यता की सीमा तक सेवा प्रदाता के बकाया बिलों या निष्पादन प्रतिभूति जमा राशि में से स्वतः प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए हकदार होगा।

vii. सेवा प्रदाता समय-समय पर संबंधित विधि/नियमों में किसी संशोधन के बारे में क्रेता को सूचित रखेगा।

5. कपट और भ्रष्ट आचरण

i. बोलीदाता और उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट और सलाहकार बोली लगाने की प्रक्रिया के दौरान उच्चतम आचारनीति स्तरों को अपनाएंगे। इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , यदि यह तय हो जाता है कि बोलीदाता, बोली लगाने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से भ्रष्ट आचरण, कपटपूर्ण आचरण, प्रपीड़क आचरण, अवांछनीय आचरण या प्रतिबंधित आचरण में शामिल रहा है, तो यह क्रेता बोलीदाता के लिए किसी भी रीति से, जो भी हो, देय हुए बिना, बोली को अस्वीकार कर सकता है।

ii. इसमें ऊपर खंड (i) के अधीन क्रेता के अधिकारों के लिए किसी पूर्वाग्रह के बिना , यदि बोलीदाता इस कार्यालय द्वारा बोली लगाने की प्रक्रिया के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से कोई भ्रष्ट आचरण, कपटपूर्ण आचरण, अवांछनीय आचरण, या प्रतिबंधित आचरण करता हुआ या लिप्त पाया जाता है , तो ऐसा बोलीदाता कार्यालय द्वारा प्रवर्तित किसी निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा।

iii. इस खंड (i) के उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित शब्दों का, इसमें इसके बाद क्रमशः दिया गया अर्थ अभिप्रेत है।

iv. भ्रष्ट आचरण (i) बोली लगाने की प्रक्रिया से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल्यवान किसी भी चीज का प्रस्ताव करने, देने, या याचना करने या (ii) यथा अनुमत के सिवाय और अलावा, बोली लगाने की प्रक्रिया के दौरान या एलओए जारी किए जाने के बाद या करार निष्पादित किए जाने के बाद, जैसा भी मामला हो, एलओए की परियोजना या करार से संबंधित किसी मामले के संबंध में किसी व्यक्ति को, जो उस समय परियोजना से संबंधित किसी मामले के संबंध में प्राधिकारी का विधिक, वित्तीय, या तकनीकी सलाहकार रहा है या है, किसी भी रीति से, चाहे जो भी हो, नियोजित करने से अभिप्रेत है।

v. कपटपूर्ण आचरण बोली लगाने की प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से तथ्यों के अन्यथा कथन या लोप या तथ्यों के छिपाने या अपूर्ण तथ्यों को प्रकट करने से अभिप्रेत है।

vi. "प्रपीड़क आचरण" बोली लगाने की प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की सहभागिता या कार्य को प्रभावित करने हेतु किसी व्यक्ति या संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ह्रासित करने या क्षति पहुंचाने या ह्रास या क्षति पहुंचाने के लिए धमकी देने से अभिप्रेत है।

vii. "अवांछनीय आचरण" (i) बोली लगाने की प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रचार करने , समर्थन जुटाने या किसी भी रीति से प्रभावित करने या प्रभावित करने का प्रयास करने के उद्देश्य से प्राधिकरण से संबंधित या उसमें नियोजित या नियुक्त किसी के साथ संपर्क स्थापित करने ; या (ii) हित संघर्ष से अभिप्रेत है; और

viii. "प्रतिबंधित आचरण" बोली प्रक्रिया में पूर्ण और निष्पक्ष समापन को रोकने या जोड़-तोड़ करने के उद्देश्य से आवेदकों के बीच मूल्य-संघ बनाने या किसी सहमति या व्यवस्था तक पहुंचने से अभिप्रेत है।

6. **<u>संविदा को प्रकट न किया जानाः</u>** क्रेता/सेवा प्रदाता की लिखित सहमति के अलावा , दूसरा पक्षकार किसी तीसरे पक्षकार को संविदा को या इसके किसी प्रावधान या विशिष्टि या इसमें अंतर्विष्ट किसी सूचना को प्रकट नहीं करेगा।

7. **<u>परिनिर्धारित क्षतियां :-</u>**

i. सेवा प्रदाता द्वारा इस संविदा में यथा विनिर्दिष्ट बंधपत्रों , गारंटियों या दस्तावेजों आदि को प्रस्तुत न करने की स्थिति में , क्रेता अपने विवेक से संविदा समाप्त होने के समय तक किसी भी भुगतान को रोक सकता है।

ii. कार्यालय की संपत्ति की किसी हानि/चोरी के मामले में , इस कार्यालय में सक्षम प्राधिकारी हानि/चोरी का कारण बनने वाली परिस्थितियों पर विचार करेगा और यदि सेवा प्रदान करने वाले फर्म की ओर से कोई गलती सिद्ध होती है तो फर्म विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर हानि को पूरा करेगी या अन्यथा लागत की कटौती अगले मास के बिलों से की जाएगी।

iii. सेवा प्रदाता, क्रेता द्वारा मांग किए जाने के बाद , निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित संख्या में व्यक्तियों को भेजेगा। आपातिक मामलों में, यथा नियोजित व्यक्ति के बीमार होने या उसके नियंत्रण के बाहर के कारणों से तीन से अधिक दिनों तक सतत् रूप से कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ होने पर, सेवा प्रदाता उपयुक्त एवजी प्रदान करेगा। फर्म को 2 दिनों के भीतर एवजी उपलब्ध कराना होगा।

ऐसा न करने पर विलंब (दो दिन के बाद) के प्रत्येक दिन के लिए 250/- रू. प्रतिदिन की दर से , अधिकतम 25,000/- रू. की सीमा तक , फर्म के लंबित बिलों या निष्पादन प्रतिभूति से कटौती की जाएगी।

(iv) किसी भी प्रकार से संविदा भंग करने पर, इसमें दिए गए किसी भी निबंधन और शर्तों का अतिक्रमण और उल्लंघन करने पर, फर्म, वार्षिक संविदा मूल्य की 10% की सीमा तक, प्रथम अवसर पर 5000 रू. की राशि की कटौती, ऐसे कृत्य की पुनरावृत्ति के प्रत्येक अवसर पर दोगुना कटौती किए जाने के लिए उत्तरदायी होगी। इस राशि की कटौती फर्म के निष्पादन प्रतिभूति जमा/बकाया बिलों से की जाएगी। तथापि, ऐसे कृत्य की तीन से अधिक बार पुनरावृत्ति होने की स्थिति में फर्म को ब्लैक-लिस्ट में डाले जाने के अलावा इसकी संविदा तत्काल रद्द कर दी जाएगी और निष्पादन प्रतिभूति जमा जब्त कर लिया जाएगा। इस संबंध में इस कार्यालय में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम तथा फर्म के लिए बाध्यकारी होगा।

8. <u>संविदा की समाप्ति</u> **:-** क्रेता को निम्नलिखित किसी मामले में आंशिक या पूर्ण रूप में संविदा को समाप्त करने का अधिकार होगा :-

i. सेवा प्रदाता को दिवालिया घोषित कर दिया गया है या वह दिवालिया हो गया है।

ii. सेवा प्रदाता ने तीन से अधिक बार संविदा के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन किया है।

iii. यह पाया गया है कि सेवा प्रदाता ने क्रेता से जानबूझकर छल किया है या यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई कोई सूचना किसी भी समयावधि में गलत या झूठी पाई जाती है।

iv. मध्यस्थम् अधिकरण के निर्णय के अनुसार।

9. <u>अंतरण और उप- ठेका:-</u> सेवा प्रदाता के पास संविदा या इसके किसी भाग का सौदा करने , बेचने, समनुदेशित करने या उप- ठेके पर देने या अन्यथा निपटाने तथा साथ ही साथ वर्तमान संविदा के किसी भाग के हितलाभ या लाभ को किसी तीसरे पक्षकार को देने या उसे ठेके पर देने का अधिकार नहीं है।

10. <u>संशोधन:-</u> वर्तमान संविदा का कोई भी उपबंध , इस संविदा की तारीख के बाद लिखित रूप में किए गए और दोनों पक्षकारों की ओर से हस्ताक्षरित किए गए किसी लिखत के अलावा, जिसमें वर्तमान संविदा को संशोधित करने के लिए स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो, संशोधित नहीं किया जाएगा।

11. <u>कर और शुल्क:-</u>

(क) यदि किसी कर/प्रभार की प्रतिपूर्ति उल्लिखित दरों से ऊपर अतिरिक्त रूप में की जानी आशयति है को बोलीदाता को विशेष रूप से ऐसा कहना होगा। किसी ऐसे अनुबंध के न होने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि उल्लिखित दरें मुकम्मल और अंतिम हैं और निविदाओं को खोले जाने के बाद ऐसे करों/प्रभारों के कारण किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ख) यदि किसी बोलीदाता को उनकी सेवा के किसी मूल्य तक किसी कर/प्रभार के भुगतान से छूट प्राप्त है तो उसे स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना चाहिए कि उससे ऐसा कोई कर/प्रभार छूट की सीमा तक, जो वह प्राप्त कर सकता है , प्रभारित नहीं किया जाएगा। यदि किसी कर/प्रभार की दर/प्रमात्रा के संबंध में कोई रियायत उपलब्ध है तो इसे स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

(ग) संविदा के निबंधनों के भीतर होने वाले किसी सांविधिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, मजदूरी/कर में किसी परिवर्तन/प्रभार में वृद्धि/कमी की अनुमति सेवा प्रदाता द्वारा दत्त ऐसी मजदूरी/कर/प्रभार की वास्तविक प्रमात्रा की सीमा तक प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार, किसी कर/प्रभार का अधोमुखी संशोधन किए जाने की स्थिति में ऐसे कर/प्रभार की कमी की वास्तविक प्रमात्रा सेवा प्रदाता द्वारा क्रेता को प्रतिपूर्तित की जाएगी। ऐसे सभी समायोजनों में सेवा प्रदाता द्वारा वह सभी राहतें, कटौतियां, रियायतें आदि, यदि कोई है, शामिल हैं।

12. ह्रास खंड:- उल्लिखित दरें पूरी संविदा अवधि के लिए प्रभावी रहेंगी। किसी भी कारण से दर संशोधित करने की मांग संविदा की अवधि के दौरान स्वीकार नहीं की जाएगी। परंतु , यदि सेवा प्रदाता संविदा की अवधि के दौरान सेवा के किसी मद की दर को कम करता है या उसी सेवा को किसी दूसरे व्यक्ति या संगठन को संविदा दर से निम्नतर कीमत पर प्रदान करने का प्रस्ताव भी करता है तो सेवा के मद की दर सेवा की सभी उत्तरवर्ती आपूर्तियों के लिए उस तारीख से स्वतः कम कर दी जाएगी और संविदा को तदनुसार संशोधित कर दिया जाएगा।

खंड IV – विशेष शर्तें

बोलीदाता को नीचे उल्लिखित संविदा की विशेष शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि देना आवश्यक है । जिन्हें स्वतः ही, सफल बोलीदाता के साथ की गई संविदा के एक अंश के रूप में माना जाएगा। ऐसा न करने पर बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(1) बोली दस्तावेज में दर्शाई गई अपेक्षाएं अनंतिम है। मूल अपेक्षाएं नियोजन के समय घट सकती है अथवा बढ़ सकती है।

(II) फर्म में नियोजित किए गए व्यक्तियों को, शब्दकोश तैयार करने संबंधी उपयुक्त ज्ञान होना चाहिए।

(III) भारत की ऐसी सभी फर्मों के लिए निविदा खुली है, जो डिजिटिलाइजेशन और डिजिटल आर्काइविंग सोलुशन प्रदान करने, जर्नल प्रबंध प्रणाली और ई-बुक की तैयार करने संबंधी कार्य करती हैं।

(IV) केवल वह एजेंसियां आवेदन कर सकती हैं, जो सेवा कर निदेशालय से पंजीकृत है, ऐसे एजेंसियों को पंजीकरण का विवरण और पैन कार्ड, बिक्री कर/ वैट/ सेवा कर प्रमाण पत्र अथवा यथा लागू, जी.एस.टी की प्रतियाँ जमा करनी होंगीं।

(V) एजेंसी के पास आईएसओ 9001 : 2008 और आईएसओ 27001 : 2013 सर्टिफिकेशन होने चाहिए अथवा संबंधित क्षेत्र में राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त गुणवत्ता सर्टिफिकेशन होने चाहिए।

(क) एजेंसियों का पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष का वार्षिक टर्नओवर कम से कम रु. 50.00 लाख (पचास लाख रुपए मात्र) होना चाहिए।

i. सीए द्वारा प्रणाणित डिजिटिलाइजेशन प्रमाण पत्र के साथ पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षित जमाशेष / आयकर विवरण पत्र संलग्न करें।

(ख) बोलीदाता के पास उपयुक्त आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ कार्य का व्यापक अनुभव भी होना चाहिए तथा उन्हे स्कैनिंग, डिजिटिलाइजेशन और आर्काइविंग तकनीक की उपयुक्त जानकारी भी होनी चाहिए और इसके साथ ही उनके पास 31.03.2018 तक, कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र द्वारा यथा प्रमाणित कम से कम 10 वर्षों से कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

(ग) बोलीदाता का वार्षिक टर्नओवर पिछले तीन वित्तीय वर्षों में (मार्च, 2018 तक) 50 लाख होना चाहिए। बोली के साथ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की अनुप्रमाणित और लेखापरिक्षित प्रति संलग्न करनी होंगी।

(घ) बोलीदाता को पिछले तीन वर्षों में, किसी प्रतिष्ठित संगठन के लिए डिजिटलाइजिंग/ स्कैनिंग, स्कैनिंग, इनडेक्सिंग और स्कैन किए गए इमेज को डॉक्युमेंट में स्टोर करने की कम से कम एक परियोजना का निष्पादन करने का अनुभव होना चाहिए या उसने किसी राज्य सरकार/ केंद्र सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए कम से कम एक ई-पुस्तक की परियोजना का निष्पादन किया हो ।

(ङ) बोलीदाता को पिछले तीन वर्षों में, कम से कम 4 संगठनों के लिए ई-पीयूबी तैयार करने का अनुभव होना चाहिए।

(च) जिन बोलीदाताओं के पास वर्तमान में 1 करोड़ मूल्य का क्षतिपूर्ति बीमा होगा, उसे वरीयता दी जाएगी।

(छ) जिन बोलीदाताओं के पास अंतरराष्ट्रीय संगठनों/ भूगोलों की सेवा के लिए ई-पीयूबी और डिजिटलाइजेशन का अनुभव होगा, उन्हे वरीयता दी जाएगी।

(ज) बोलीदाताओं को अपने कार्य अनुभव के प्रमाण स्वरूप दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कार्य आदेश /सफलता पूर्वक कार्य पूरा करने के प्रमाण पत्र की प्रति देनी होगी।

(झ) एजेंसी के पास आवश्यक आधारभूत सुविधाएं जैसे- डेस्कटॉप कंप्यूटर, यूपीएस, स्कैनर और अन्य आवश्यक उपकरण (आवश्यकता के अनुसार) सहित हार्डवेयर, समस्त सॉफ्टवेयर और कार्य का निष्पादन करने के लिए श्रमशक्ति होने चाहिए। (कृपया स्वामित्व संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें)।

(ञ) कंपनी के पास A3, A4 आकार के पृष्ठों को स्कैन करने के लिए कम से कम 2 हाई स्पीड, हाई परफॉर्मेंस, हाई डेफिनेशन / रिजोलुशन पेज स्कैनर होने चाहिए जो प्रतिदिन कम से कम 3000 पृष्ठों का स्कैन कर सकती हो।

(ट) कंपनी को यह वचन देना होगा कि उसे किसी भी सरकारी या स्वायत निकाय द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

(ठ) अल्पकालीन नोटिस में ही प्रस्तुति के समय कार्य की सैंपल प्रति (स्कैन किए गए इमेज, ई-बुक इत्यादि) प्रस्तुत करने होंगें।

(ड) बोलीदाताओं के पास व्यवसायिकों की एक अनुभवी टीम होने चाहिए और उसमें कम से कम 100 कर्मचारी कार्यरत होने चाहिए (कर्मचारियों की सूची प्रदान करें)

संविदा अनुबंध और निष्पादन :- बोलीदाता यह ध्यान दें कि हालांकि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो दोनों के लिए एक साथ ही बोलियाँ आमंत्रित की गई है, परंतु संविदा का निष्पादन अलग-अलग किया जाएगा, इसलिए इन संगठनों के साथ संविदा का अनुबंध अलग-अलग किया जाएगा।

कार्य-निष्पादन गारंटी :- सफल निविदाकार / बोलीदाता को अनुबंध के कुल मूल्य के 10% के बराबर राशि की कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा राशि (पीएफडी) को फर्म के नाम से बनाए गए सावधि जमा रसीद (एफडीआर) के रूप में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को अलग से जमा करने होंगें और इसे आदान एवं संवितरण अधिकारी, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली के पास बंधक रखा जाएगा। स्वीकृति आदेश प्राप्त करने के 30 दिनों के अंदर कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा राशि (पीएफडी) जमा करनी होंगी और यह संविदा समाप्त होने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी। यदि प्रारंभिक अवधि के बाद संविदा को

आगे बढ़ाया जाता है तो सफल निविदाकार / बोलीदाता को तदनुसार कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा राशि को नवीकृत करना होंगा।

भुगतान की शर्तें :- समस्त भुगतान सिर्फ ई.सी.एस / एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किया जाएगा। बोलीदाता को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए आवश्यक विवरण, यथा- खाताधारक का नाम, बैंक का नाम, शाखा का नाम और पता, खाता का प्रकार और खाता संख्या, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड संलग्न आवश्यक प्रपत्र में देने होंगें। आवश्यक दस्तावेजों की प्रस्तुति पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

(i) तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत करने पर फर्म को समान्यतः संविदा के मूल्य के 40 % राशि का भुगतान अग्रिम रूप में किया जाएगा, कार्य पूरा होने पर 50 % राशि का भुगतान किया जाएगा और अनुरक्षण संविदा समाप्त होने पर अर्थात् दो वर्ष के बाद शेष 10 % राशि का भुगतान किया जाएगा।

(क) स्याही से हस्ताक्षरित बिल की प्रति के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें.

(i) प्रयोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(ii) वाणिज्यिक बीजक / सेवा प्रदाता के बिल की हस्ताक्षरित प्रति, जहां लागू हो।

(iii) अपेक्षित दस्तावेजों द्वारा समर्थित सांविधिक और अन्य शुल्क के लिए दावा

(iv) कोई अन्य दस्तावेज / प्रमाण पत्र जिसे आपूर्ति आदेश / संविदा के लिए दिया जा सकता हो।

<u>खंड V (क) – तकनीकी बोली अहर्ता मानदंड</u>

निविदा प्रस्तुत करने वाली एजेंसी / फर्म को, बोली के तकनीकी मूल्यांकन के संबंध में अहर्ता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करना होगा।

क. सेवा प्रदाता की श्रृखंला शाखा / कार्यालय दिल्ली / नई दिल्ली में स्थित होना चाहिए। उन्हे **पते के प्रमाण को स्कैन करके बोली दस्तावेज के साथ अपलोड करना होगा।**

ख. साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी अनुबंध की एक प्रति अथवा नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित साधारण मुख्तारनामा की प्रति को एक ऐसे स्टांप दस्तावेज पर प्रस्तुत करना होगा जिसमें समस्त साझेदार, शपथ के साथ साझेदारी अनुबंध या जीपीए के निष्पादन को स्वीकार करते हुए इसकी स्वीकृति देंगें। निविदा के साथ ही फर्म के पंजीकरण के प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करनी होंगी। **उल्लिखित दस्तावेजों को स्कैन करके बोली दस्तावेज के साथ अपलोड करना होगा।**

ग. सेवा प्रदाता को सरकारी / अर्ध सरकारी / सांविधिक निकायों / स्वायत निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शब्दावली (अंग्रेजी से हिंदी) तैयार करने के कार्य का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए। पिछले दो वर्षों में कम से कम दो ऐसी संविदाओं का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा और इसके साथ ही आपूर्ति के आदेश की अनुप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। **उल्लिखित दस्तावेजों को स्कैन करके बोली दस्तावेज के साथ अपलोड करना होगा।**

घ. सेवा प्रदाता एजेंसी (व्यैक्तिक नहीं) के पास निम्नलिखित पंजीकरण दस्तावेज होने चाहिए। उल्लिखित दस्तावेजों को स्कैन करके बोली दस्तावेज के साथ अपलोड करना होगा और इसका विवरण तकनीकी बोली में देना होगा।

(क) पैन
(ख) पीएफ पंजीकरण
(ग) ईएसआई पंजीकरण
(घ) माल और सेवा कर पंजीकरण

ङ. सेवा प्रदाता का पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2014-15 और 2016-17 में कुल टर्नओवर रू. 50.00 लाख (पचास लाख रुपए) होना चाहिए। टर्नओवर की प्रति जो चार्टरित लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित हो, बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करनी होंगी। **उल्लिखित दस्तावेजों को स्कैन करके बोली दस्तावेज के साथ अपलोड करना होगा।**

च. सेवा प्रदाता का अपना बैंक खाता होना चाहिए। बैंक द्वारा जारी किए गए खाते के पिछले दो वर्षों के विवरण की प्रमाणित प्रतियों को स्कैन करके बोली दस्तावेज के साथ अपलोड करना होगा।

छ. सेवा प्रदाता एजेंसी को एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि उन्होने सांविधिक देयताओं जैसे- ईपीएफ / ईएसआई / सेवा कर और आयकर का भुगतान करने में कहीं भी कोई चूक नहीं की है।

ज. जिन बोलीदाताओं के पास अंतरराष्ट्रीय संगठनों / भूगोलों ई-पीयूबी और डिजिटलाइजेशन के कार्य करने का अनुभव होगा, उन्हे वरीयता दी जाएगी।

झ. बोलीदाताओं को कार्य अनुभव के प्रमाण स्वरूप दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कार्य आदेश /सफलता पूर्वक कार्य पूरा करने के प्रमाण पत्र की प्रति देनी होंगी।

ञ. एजेंसियों के पास आवश्यक आधारभूत सुविधाएं जैसे- डेस्कटॉप कंप्यूटर, यूपीएस, स्कैनर और अन्य आवश्यक उपकरण (आवश्यकता के अनुसार) सहित हार्डवेयर, समस्त सॉफ्टवेयर और कार्य का निष्पादन करने के लिए श्रमशक्ति होने चाहिए। (कृपया स्वामित्व की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें)।

ट. एजेंसी के पास A3, A4 आकार के पृष्ठों को स्कैन करने के लिए कम से कम 2 हाई स्पीड, हाई परफॉर्मेंस, हाई डेफिनेशन / रिजोलुशन पेज स्कैनर होने चाहिए जो प्रतिदिन कम से कम 3000 पृष्ठों का स्कैन कर सकती हो।

ठ. एजेंसी को यह वचन देना होगा कि उसे किसी भी सरकारी या स्वायत / जाँच निकाय द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

ड. अल्पकालीन नोटिस पर ही प्रस्तुतीकरण के समय कार्य की सैंपल प्रति (स्कैन किए गए इमेज, ई-बुक इत्यादि) प्रस्तुत करने होंगें।

ढ. बोलीदाताओं के पास व्यवसायिकों की एक अनुभवी टीम होने चाहिए और उसमें कम से कम 100 कर्मचारी कार्यरत होने चाहिए (कर्मचारियों की सूची प्रदान करें)

तकनीकी निविदा के मूल्यांकन के लिए प्रारूप

1. निविदा करने वाले सेवा प्रादाता / फर्म / एजेंसी का नाम

2. पंजीकरण संख्या

3. सेवा प्रादाता / फर्म / एजेंसी के स्वामी / निदेशक का नाम

4. कार्यालय का पूरा पता

5. दूरभाष संख्या और फोन नंबर

6. ई-मेल

7. पैन संख्या

8. सेवा कर संख्या

9. निविदाकर्ता सेवा प्रादाता / फर्म / एजेंसी का पिछले 3 वर्षों का वित्तीय टर्नओवर

वित्तीय वर्ष राशि (लाख रुपये) टिप्पणी, यदि कोई हो

2015-16

2016-17

2017-18

10. शब्दावली तैयार करने का पिछले 5 वर्षों के अनुभव का विवरण साथ ही यह भी बताएं कि कितने सरकारी विभागों/पीएसयू/सांविधिक निकायों/स्वशासी निकायों में यह काम किया है। कृपया संबंधित विभाग से संतोषजनक कार्यनिष्पादन का प्रमाणपत्र संलग्न करें ।

कार्यालय का नाम	शब्दावली की श्रेणी	संविदा की अवधि	संविदा की राशि	तैनात व्यक्तियों की संख्या

11. इस आशय का शपथ पत्र कि सेवा प्रदाता ने ईपीएफ/ईएसआई/सेवा कर/आयकर एवं सभी संविधिक देयताओं आदि का भुगतान किया है।

12. इस बात की घोषणा कि सेवा प्रदाता को किसी भी समय केंद्र सरकार के विभागों / राज्य सरकार / सांविधिक निकायों / स्वशासी निकायों / पीएसयू / निजी क्षेत्र द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है / उनकी ब्लैक लिस्ट में नहीं है।

13. बयाना राशि का विवरण (ईएमडी)

राशि	डीडी / पे आर्डर सं.	तारीख	बैंक का नाम
रुपया..... (रुपया.....मात्र)			

<u>घोषणा</u>

1. मैं, ...पुत्र / पुत्री .....श्री ....., ऊपर वर्णित एजेंसी का स्वामी / निदेशक / प्राधिकृत हस्ताक्षरी, इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने और इस दस्तावेज को निष्पादित करने के लिए सक्षम हूँ।

2. मैंने निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस (एनआईटी) सं.....दिनांक ....., 2017 के सभी नियम एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ व समझ लिया है और संविदा अवधि के पूरा होने तक उन सभी का पालन करूंगा।

3. उपरोक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत सूचना/दस्तावेज मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और प्रामाणिक हैं। मैं/हम इस तथ्य से अच्छी तरह से अवगत हूँ कि कोई भी झूठी सूचना/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने से मेरे/हमारे निविदा को किसी भी चरण में अस्वीकार कर दिया जाएगा साथ ही समुचित कानून के तहत अभियोजन के लिए भी उत्तरदायी होंगे और ईएमडी और कार्यनिष्पादन गारंटी

को जब्त कर लिया जाएगा। यह प्रमाणित है कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त जानकारी सत्य और सही है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस फर्म को न तो किसी सरकारी मंत्रालयों/विभागों द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाला गया है और न ही इस फर्म या इसके स्वामी/साझेदार के विरुद्ध भारत में कहीं भी कोई आपराधिक मामला पंजीकृत/लंबित है।

(प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर)

दिनांक :

स्थान : पदनाम

टिप्पणी : सभी विवरणों और फर्म की मुहर वाले विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र के बिना प्राप्त किसी भी बोली को अपूर्ण और अनुत्तरदायी बोली माना जाएगा और इसलिए बोली को तुरंत/ सीधे नामंजूर कर दिया जाएगा और वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी।

भाग v (ख) - मूल्यांकन मानदंड एवं मूल्य बोली मुद्दे

1. **मूल्यांकन मानदंड:-** बोलियों के मूल्यांकन के लिए व्यापक दिशानिर्देश निम्नलिखित होंगे:-

(क) केवल उन बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा जो निविदा दस्तावेजों के सभी पात्रता एवं योग्यता अपेक्षाओं को तकनीकी एवं वाणिज्यिक दोनों ही रूपों में पूरा करते हों।

(ख) विस्तृत मूल्यांकन से पूर्व, प्रत्येक बोली की संतोषजनक प्रत्युत्तर सुनिश्चित किया जाएगा। संतोषजनक प्रत्युत्तर वाली बोली वह होती है जो बिना किसी ठोस विचलन के बोली दस्तावेजों के सभी नियम एवं शर्तों के अनुरूप हो।

(ग) बोली प्रतिभूति, अनुप्रयोज्य कानून, कर एवं शुल्क, और अपेक्षित दस्तावेजों को जमा नहीं करने जैसे महत्वपूर्ण उपबंधों से विचलन या इनसे संबंधित आपत्तियों या आक्षेपों को ठोस विचलन माना जाएगा।

(घ) केवल उन बोलीकर्ताओं की मूल्य बोलियों को खोला जाएगा जिनकी तकनीकी बोलियां मूल्यांकन में ठीक पाई जाएंगी।

(ड.) सबसे कम बोली का निर्धारण संलग्नक-II में दिए गए मूल्य प्रारूप के अनुरूप किसी एक बोलीकर्ता द्वारा उद्धृत सबसे कम मूल्य से तय किया जाएगा। **मूल्यांकन निवल बंडल दर @ के अनुसार होगा।**

(च) बोलीकर्ताओं द्वारा उद्धृत सभी करों एवं प्रभारों पर विचार किया जाएगा। क्रेता पर भारित अंतिम मूल्य बोलियों की रैंकिंग तय करने के लिए निर्णायक कारक होगा।

(छ) यदि कोई फर्म "शून्य" प्रभार/ प्रतिफल उद्धृत करता है या कॉलम को खाली छोड़ देता है, तो बोली को अनुत्तरित माना जाएगा और इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ज) यदि शब्दों और अंकों के बीच विसंगति हो, तो मूल्य की गणना के लिए शब्दों में लिखी राशि मान्य होगी। यदि सेवा प्रदाता त्रुटियों को ठीक करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं करता है तो उसकी बोली को नामंजूर कर दिया जाएगा और उसकी बोली प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी।

(झ) निविदा का अंतिम रूप से निर्धारण निवल न्यूनतम बंडल दर के आधार पर होगा।

(ञ) यदि बोलीदाता तकनीकी, व्यावसायिक और वित्तीय रूप से स्वीकार्य हो और बोली को ठोस रूप से उत्तरदायी पाया गया हो, तभी बोली को स्वीकार्य न्यूनतम बोली माना जाएगा। क्रेता द्वारा यथानिर्धारित सभी स्पष्टीकरण और कीमत संबंधी बातचीत के बाद ही अनुबंध किया जाएगा/ आपूर्ति आदेश दिया जाएगा।

2. मूल्य बोली प्रारूप:- मूल्य बोली प्रारूप नीचे दिया गया है। प्रत्येक कॉलम बोलीकर्ताओं द्वारा सही-सही एवं पूर्ण विवरण सहित भरा जाना चाहिए।

अनुलग्नक-II

क्र.सं.	दर का घटक (प्रति व्यक्ति प्रतिमाह).	दर	
		आंकड़ों में	शब्दों में
1.	मासिक दर (प्रति व्यक्ति प्रतिमाह)#		
2.	ईपीएफ@		
3.	ईएसआई@		
4.	प्रशासनिक प्रभार / सेवा शुल्क		
5.	कोई अन्य प्रभार		
6.	जीएसटी%		
	निवल बंडल दर		

	(क्र.सं. 1+2+3+4+5+8)		
7.	ड्यूटी के अतिरिक्त घंटों के लिए प्रति व्यक्ति दर		

न्यूनतम मजदूरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित नवीनतम न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप होनी चाहिए

टिप्पणी :

1. सभी दरों को शब्दों एवं आंकड़ों दोनों में केवल भारतीय रुपये में उद्धृत किया जाना चाहिए।

2. कोई भी कॉलम रिक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

3. निविदा में शामिल सेवा प्रदाता द्वारा उद्धृत दरों में संविदा करते समय प्रभावी सभी सांविधिक / कराधान देयताएं शामिल होनी चाहिए।

4. बोलीकर्ता आठ घंटे की ड्यूटी के लिए दर उद्धृत करें।

अनुलग्नक-V

ईसीएस आदेश प्रारूप

ई-भुगतान (ईसीएस / ईएफटी / सीधा क्रडिट /आरटीजीएस /एनईएफटी / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा अनुमोदित अन्य भुगतान तंत्र) के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने का ग्राहक का विकल्प

1. क्रेडिट समाशोधन तंत्र

1.	ग्राहक का नाम	
2.	बैंक खाते का विवरण	
	बैंक का नाम	
	शाखा का नाम	
	बैंक का पता	
	दूरभाष संख्या	
	आईएफएस कोड	
	बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक के ऊपर प्रदर्शित होने वाला 9 अंकों का कोड संख्या	
	खाते का प्रकार (बचत खाता / चालू खाता या नकदी)	
	बहीखाता संख्या	
	बहीखाता पृष्ठ संख्या	
	चेकबुक पर प्रदर्शित खाता संख्या	

2. बैंक का कोरा रद्द चेक संलग्न करें।

3. प्रभाव की तारीख

"मैं एतदद्वारा, घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं। यदि अपूर्ण या गलत जानकारी के कारण लेनदेन में देरी हो या बिलकुल नहीं हो पाए, तो मैं प्रयोक्ता संस्था को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। मैंने वैकल्पिक आमंत्रण पत्र पढ़ लिया है और मैं योजना के तहत प्रतिभागी के रूप में अपेक्षित ज़िम्मेदारी निर्वहन करने के लिए सहमत हूँ।"

(.....) ग्राहक का हस्ताक्षर

ग्राहक

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण हमारे अभिलेखानुसार सही हैं।

बैंक स्टांप

तारीख

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

<u>संविदा समझौता प्रारूप</u>

....., राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय में आउटसोर्सिंग आधार पर वृहद् राजभाषा शब्दावली तैयार करने के लिए तकनीकी भाषाई सुविधा और मानवशक्ति प्रदान करने के लिए निदेशक .....और ..... (सेवा प्रदाता का नाम) के बीच संविदा समझौता

संविदा सं ..... तारीख .....

1. यह संविदा आज के दिन .....दिन/माह/तारीख को नई दिल्ली में एक पक्ष निदेशक....., इसके बाद 'क्रेता' कहा जाएगा (इस पद में, जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा न हो, उनके कार्यालय का उत्तराधिकारी को शामिल माना जाएगा), और .....(पता सहित कंपनी का नाम) का पंजीकृत कार्यालय .....(पंजीकृत कार्यालय का पता) है, (जब तक संदर्भ द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा न हो, उनके उत्तराधिकारी और हस्तान्तरिती को शामिल माना जाएगा), इन्हें इसके बाद दूसरा पक्ष 'सेवा प्रदाता' कहा जाएगा।

2. सेवा प्रदाता क्रेता को सेवा प्रदान करने का वचन देता है, और क्रेता इस अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों पर इसे स्वीकार करने और भुगतान करने का वचन देता है। शर्तें /सेवाएं, मात्रा, और यूनिट मूल्य और कुल मूल्य निविदा दस्तावेज के भाग-II में उल्लिखित हैं।

3. क्रेता और सेवा प्रदाता निविदा दस्तावेज के भाग-III में यथावर्णित संविदा की मानक शर्तों का अनुपालन करने के लिए सहमत है।

4. क्रेता और सेवा प्रदाता निविदा दस्तावेज के भाग-IV में यथावर्णित संविदा की विशेष शर्तों का अनुपालन करने के लिए सहमत है।

सेवा प्रदाता का हस्ताक्षर

(पूरा नाम और पदनाम)

पता, दूरभाष, फैक्स, ई-मेल विवरण

क्रेता का हस्ताक्षर

(पूरा नाम और पदनाम)

पता, दूरभाष, फैक्स, ई-मेल विवरण

संलग्नक.I - कार्य क्षेत्र

संलग्नक.II - वित्तीय बोली के लिए प्रारूप (कार्य क्षेत्र)

संलग्नक.III - नियम एवं शर्तें

संलग्नक.IV - तकनीकी बोली के लिए प्रारूप

संलग्नक.V - बैंक का विवरण प्रदान करने के लिए प्रारूप